



2026:AHC:16552

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3805, वर्ष 2025

नरेंद्र कुमार त्यागी
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अजय मिश्रा, नूर सबा बेगम
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नूर सबा बेगम, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री चंदन कुमार, तथा प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"1. उत्तप्रेषण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इलाहाबाद द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 13/2004-05 राजवीर बनाम राज्य, रिवीजन संख्या 14/2004-05 देवी दयाल बनाम राज्य, तथा रिवीजन संख्या 15/2004-05 रोशन लाल बनाम राज्य में दिनांक 25.04.2007 को पारित आदेश को रद्द किया जाए।"

"II. परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को यह निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम-खुर्रमपुर, पुलिस थाना-मुरादनगर, जिला-गाजियाबाद में स्थित खसरा संख्या 387 की भूमि पर किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार उत्पन्न न करें।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि रिवीजन संख्या 13/2004-05 में दिनांक 25.04.2007 को पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए, और यह निर्देश जारी किया जाए कि निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 9, खसरा संख्या 387 के संबंध में कोई भी तृतीय-पक्ष अधिकार उत्पन्न न करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
5. अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उनन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-B के तहत दायर वाद को आज्ञाप्ति कर दिया गया था, जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश जमींदारी उनन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B (4F) का लाभ प्रदान किया गया।
6. वर्ष 2007 में पारित आक्षेपित आदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश जमींदारी उनन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-B के तहत दायर वाद में पारित निर्णय और आज्ञाप्ति की पूर्ति की गई है।
7. उत्तर प्रदेश जमींदारी उनन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-B के तहत हुई कार्यवाही में, लगभग 18 साल पहले पारित पुनरीक्षण आदेश को रद्द करने के लिए जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।
8. उत्तर प्रदेश जमींदारी उनन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-B के तहत मुकदमा दायर करने के साथ-साथ अपील और पुनरीक्षण के लिए भी पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है; अतः, नियमित राजस्व कार्यवाही में पारित निर्णय और आदेश को रद्द करवाने के लिए जनहित याचिका दायर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
9. इस मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
10. तदनुसार, जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

22 जनवरी 2026

सी. प्रकाश